

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(147)नविवि/3/2008 पार्ट-III

जयपुर, दिनांक: 17 MAY 2023


आदेश

टेलीकॉम सेवाओं के संबंध में Restoration Charges के निर्धारण करने हेतु शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|-------|---|---|------------|
| (i) | DDG (Rural), License Service Area, DOT, Rajasthan. | - | सदस्य |
| (ii) | श्री अशोक चौधरी, निदेशक अभियान्त्रिकी, जयपुर, जयपुर | - | सदस्य |
| (iii) | श्री महेन्द्र माथुर, मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर | - | सदस्य |
| (iv) | मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर | - | सदस्य सचिव |

उक्त समिति आगामी 15 दिवस में Restoration Charges हेतु uniform दरों के निर्धारण बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, महानिदेशक (पुलिस), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. Sr. DDG, License Service Area, Dot, Rajasthan.
9. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
13. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
15. श्री मुकेश अरोडा, अतिरिक्त निदेशक, नविवि, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय